सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद

पत्रांक–826 /अधि0/स0सु0/2020–21 दिनांक –18/06/2020

अधिसूचना

चूकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) के धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है,

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरादाबाद जनपद होकर निकले/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एंव सख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर (कि0मी0 में)	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड कर अन्य समस्त यात्रीयान
1.	मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून मार्ग। (राज्य मार्ग–49)	10.00 से 36.00 तक (अगवानपुर रेलवे पुल जनपद सीमा तक)	40	60	60	60
2	बिजनौर–छजलैट मार्ग। (राज्य मार्ग–76)	51.300 से 64.400 तक (छजलैट तिराहे से जनपद सीमा तक)	40	60	60	60
3	धनौरा अमरोहा कॉठ मार्ग। (प्रमुख जिला–150डब्ल्यू)	28.00 से 44.250 तक (छावी से उमरी चौराहा होते हुए कांठ)	40	60	60	50
4	मुरादाबाद–टाण्डा मार्ग। (प्रमुख जिला–065डब्ल्यू)	14.847 से 25.00 तक	40	60	60	50

Scanned with CamScanner

		(सिरसवां तिराहा से जनपद सीमा तक)				
5	नूरपुर स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग **(प्रमुख जिला–026डब्ल्यू)**	30.600 से 52.600 तक (राम गंगा सेतु से ठाकुरद्वारा तक)	40	60	60	50
6	मुरादाबाद वाईपास भाग–I **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 17.650 तक (शेरूआ चौराहे से टी0एम0यू0 कट तक)	40	60	60	40
7	मुरादाबाद वाईपास भाग–II **(अन्य जिला मार्ग)**	0.0 से 15.800 तक (कॉसमोस हॉस्पिटल से धारकनगला तक)	40	60	60	40
8	कॉठ मिश्रीपुर बेगमपुर करनपुर मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 13.600 तक (कांठ से करनपुर तक)	40	60	60	40
9	दोराहा–डिलारी–करनुपुर–सुरजननगर जसपुर मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	0.0 से 40.00 तक (दोराहा से जसपुर तक)	40	60	60	40
10	दलपतपुर अलीगंज मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	13.00 से 42.300 तक (दलपतपुर से अलीगंज तक)	40	60	60	40
11	भोजपुर रोशनपुर टाण्डा मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 18.825 तक (भोजपुर से टाण्डा तक)	40	60	60	40
12	करनपुर–रतुपुर–शरीफनगर–जसपुर मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 19.400 तक (करनपुर से जसपुर तक)	40	60	60	40
13	ठाकुरद्वारा–डिलारी मार्ग। **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 19.470 तक (ठाकुरद्वारा से डिलारी तक)	40	60	60	40
14	हरिद्वारी मार्ग (कांवड़ पथ) **(अन्य जिला मार्ग)**	0.00 से 23.00 (अगवानपुर आर0ओ0बी0 से कांठ तक)	40	60	60	40

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
   - अग्नि शमन वाहन
   - एम्बुलेंस

Scanned with CamScanner

- पुलिस वाहन
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन
- प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता को छोड़कर) में मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

भवदीया

Chhaani
8/6/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद मुरादाबाद।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
5. पुलिस उपाधीक्षक यातायात, मुरादाबाद।
6. निदेशक, छपाई, एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुरादाबाद।
10. सचिव, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित की कृपया आगामी जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उक्त संदर्भित लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित उक्त सूचना का अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
12. जिला सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

Chhaani
8/6/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन)/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner